अनुक्रमांक /Roll No.

परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक यहाँ लिखें ।
Candidate should write his/her Roll No. here.

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 7
No. of Printed Pages : 7

M-2020/GS-IV
सामान्य अध्ययन
GENERAL STUDIES
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
FOURTH PAPER

समय : 03 घंटे]
Time : 03 Hours]

[पूर्णांक : 200
[Total Marks : 200

प्रश्न : 1. इस प्रश्न में **20** अति लघुत्तरीय उप–प्रश्न हैं, **प्रत्येक** प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा **10** शब्द/**एक** पंक्ति होगी । सभी प्रश्न **अनिवार्य** हैं । **प्रत्येक** प्रश्न **02 (दो)** अंकों का है । **(20×2=40)**

Que. : 1. This question contains **20** very short answer type sub-questions. Answer **each** question in ideal **10** words/**one** line. **All** questions are **compulsory. Each** question carries **02 (two)** marks.

प्रश्न: (1.1) जैन मतानुसार 'अनन्त चतुष्टय' क्या हैं ?
What are 'Ananta Chatustayas' as per Jainism ?

प्रश्न: (1.2) बौद्ध दर्शन में 'त्रिपिटक' क्या हैं ?
What are 'Tripitakas' in Buddhism ?

प्रश्न: (1.3) कबीर के अनुसार 'गुरु–महिमा' का वर्णन कीजिए ।
Describe the importance of Teacher (Guru-Mahima) according to Kabir.

प्रश्न: (1.4) सुकरात के अनुसार 'सद्गुण ज्ञान है' की व्याख्या कीजिए ।
Explain 'Virtue is Knowledge' according to Socrates.

[P.T.O.

प्रश्न: (1.5) अद्वैत वेदांत की व्याख्या कीजिए।
Describe Advaita Vedānta.

प्रश्न: (1.6) संतुलन सम्प्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था ?
Who had proposed the concept of balance ?

प्रश्न: (1.7) रूढ़ियुक्तियों से आप क्या समझते हैं ?
What do you mean by stereotypes ?

प्रश्न: (1.8) सहायतापरक व्यवहार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
Describe the characteristics of helping behaviour.

प्रश्न: (1.9) लोक सेवक की आधारभूत योग्यताएँ क्या हैं ?
What are the basic abilities of Civil Servant ?

प्रश्न: (1.10) वैयक्तिक भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं ?
What do you mean by individual differences ?

प्रश्न: (1.11) शासन में नैतिक तत्वों की आवश्यकता क्यों है ?
Why ethical element is required in governance ?

प्रश्न: (1.12) अखण्डता के गुण क्या हैं ?
What are the attributes of integrity ?

प्रश्न: (1.13) जवाबदेही का उद्देश्य क्या है ?
What is the objective of accountability ?

प्रश्न: (1.14) शासन में उच्च मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?
How the higher values in governance can be achieved ?

प्रश्न: (1.15) सार्वजनिक कर्मियों की नैतिक दुविधा क्या है ?
What is moral dilemmas of public personnel ?

प्रश्न: (1.16) भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को कौन-सी भारतीय पुस्तक संदर्भित करती है और पुस्तक के लेखक कौन है ?
Which Indian book refers to the various forms of corruption and who is the writer of the book ?

प्रश्न: (1.17) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के तीन प्रमुख विभागों को लिखिए।
Write down three main divisions of Central Bureau of Investigation (C.B.I.).

प्रश्न: (1.18) भारत में 'वॉच डॉग' के नाम से किसे जाना जाता है ?
Who is known as 'Watch dog' in India ?

प्रश्न: (1.19) भारत में प्रथम बार केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल स्थापित करने का प्रस्ताव किसने रखा था ?
Who had proposed to set up Lokpal at central level for the first time in India ?

प्रश्न: (1.20) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 क्या कहता है ?
What does Article 311 of Indian Constitution say ?

https://www.evidyarthi.in/

प्रश्न : 2. इस प्रश्न में **08** लघु उत्तरीय उप-प्रश्न हैं, **प्रत्येक** प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा **50** शब्द/**5** से **6** पंक्तियाँ होगी। **सभी** प्रश्न **अनिवार्य** हैं। **प्रत्येक** प्रश्न **05 (पाँच)** अंकों का है। **(08×05=40)**

Que. : 2. This question contains **08** short answer type sub-questions. Answer **each** question in ideal **50** words/**5** to **6** lines. **All** questions are **compulsory. Each** question carries **05 (five)** marks.

प्रश्न: (2.1) अरस्तू के आकार एवं द्रव्य सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
Discuss Aristotle's theory of form and matter.

प्रश्न: (2.2) बुद्ध के आष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कीजिए।
Describe eightfold path of Buddha.

प्रश्न: (2.3) पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में अन्तर कीजिए।
Differentiate between prejudice and discrimination.

प्रश्न: (2.4) अभिक्षमता परीक्षण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। अभिक्षमता मापन के लाभों को समझाइये।
Discuss various types of aptitude test. Explain the benefits of aptitude measurement.

प्रश्न: (2.5) सत्यनिष्ठा की क्या जरूरत है ?
What is the need of integrity ?

प्रश्न: (2.6) पारदर्शिता के परिणाम क्या हैं ?
What are the outcomes of transparency ?

प्रश्न: (2.7) भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या हैं ?
What are the effects of corruption ?

प्रश्न: (2.8) लोक सेवा में पारदर्शिता कैसे बनायी जा सकती है ?
How the transparency can be maintained in Public Service ?

प्रश्न : 3. इस प्रश्न में **04** दीर्घ उत्तरीय उप-प्रश्न हैं, **प्रत्येक** प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा **200** शब्द है। **सभी** प्रश्न **अनिवार्य** हैं। **प्रत्येक** प्रश्न **20 (बीस)** अंकों का है। **(04×20=80)**

Que. : 3. This question contains **04** long answer type sub-questions. Answer **each** question in ideal **200** words. **All** questions are **compulsory. Each** question carries **20 (Twenty)** marks.

प्रश्न: (3.1) आचार्य शंकर के अनुसार 'जगत-प्रपंच' का विवेचन कीजिए।
Discuss 'World-appearance' according to Acharya Shankara.

प्रश्न: (3.2) अभिवृत्तियों (मनोवृत्तियों) का निर्माण कैसे होता हैं ? अभिवृत्ति (मनोवृत्ति) परिवर्तन के हाइडर और फेस्टिंगर के सिद्धान्तों को समझाइये।
How are attitudes formed ? Explain Heider's and Festinger's theories of attitude change.

प्रश्न: (3.3) सुशासन की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए ।
Write down the key features of Good Governance.

प्रश्न: (3.4) लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है और लोकपाल के कार्यों का दायरा क्या हैं ?
How Lokpal is appointed and what are the scope of functions of Lokpal ?

प्रश्न : 4. इस प्रश्न में **02** (केस स्टडी) उप-खंड है । उप-खंड **4.1** एवं **4.2** । **प्रत्येक** उप-खंड में **05** प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा **100** शब्द होगी । **सभी** प्रश्न **अनिवार्य** हैं । **प्रत्येक** प्रश्न **04 (चार)** अंकों का होगा ।

(05×04=20)

Que. : 4. This question has **02** (Case study) sub-sections as sub-section **4.1** and **4.2. Each** Case study have **05** questions and the ideal word limit for **each** answer will be **100** words. **All** questions are **compulsory. Each** question carries **04 (Four)** marks.

प्रश्न: (4.1) प्रकरण अध्ययन (Case Study)

आप भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचलित जागरूकता अभियान "महिलाएँ घरेलू हिंसा से कैसे बचें" से जुड़ी महिला एक्टिविस्ट हैं । समाज में लैंगिक हिंसा बहुत संवेदनशील मुद्दा है । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एच.एफ.एस.- 4) की रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष की आयु के बाद से हर तीसरी महिलाओं ने देश में विभिन्न रूपों की घरेलू हिंसा का सामना किया है । सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 15 साल की उम्र से 27 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है । घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 घरेलू हिंसा को स्पष्ट परिभाषित करता है, जो बहुत व्यापक है और इसमें शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन और आर्थिक हिंसा के सभी प्रकार शामिल हैं । लेकिन घरेलू महिला हिंसा को रोकने की लाचारी इस बात में निहित है कि भारतीय महिलाएँ आश्चर्यजनक रूप से घरेलू हिंसा का समर्थन करती दिखती हैं । घरेलू हिंसा की स्वीकृति का मुख्य कारण अशिक्षा है । भारत में गरीबी, गैर-बराबरी, हिंसा और अशिक्षा का वातावरण महिला हिंसा के ग्राफ को बढ़ाता है । कोविड़-19 संकट के दौरान तो घरेलू हिंसा की घटनाएँ बहुत तेजी से बढ़ी । आप इस जागरूकता अभियान के तहत घरेलू हिंसा उन्मूलन अधिनियम, 2005 के बारे में महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगी, आपकी प्राथमिकता में क्या-क्या होगा ?

You are a female activist associated with the awareness campaign "How women survive domestic violence" run by the Ministry of Women and Child Development, Govt. of India. Gender violence is a very sensitive issue

https://www.evidyarthi.in/

in the society. According to the National Family Health Survey (NHFS-4) Report released by the Union Health Ministry, every third women after the age of 15 years has faced domestic violence of various forms in the country. According to the Survey, 27% of women in India have experienced physical violence since the age of 15 years. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 clearly defines domestic violence, which is so wide and this includes all forms of physical, emotional, verbal, sexual and economic violence. But the helplessness to stop domestic female violence lies in the fact that Indian women surprisingly seems to support domestic violence. Illiteracy is the main reason for acceptance of domestic violence. The environment of poverty, inequality, violence and illiteracy in India increases the graph of female violence. During the COVID-19 crisis, the incidents of domestic violence increased very rapidly. How will you make women aware about the Domestic Violence Elimination Act, 2005, under this awareness campaign, what will be your priority ?

प्रश्न: (4.1) (1) घरेलू महिला हिंसा को स्पष्ट कीजिए।

Explain domestic violence against women.

प्रश्न: (4.1) (2) शिक्षा से महिला हिंसा का क्या संबंध है ? स्पष्ट कीजिए।

Explain the relation of violence against women with education.

प्रश्न: (4.1) (3) समाज में महिला हिंसा के समाधान सुझाइए।

Suggest solutions for violence against women in the society.

प्रश्न: (4.1) (4) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 क्या है ?

What is the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 ?

प्रश्न: (4.1) (5) लॉकडाउन के दौरान महिला हिंसा का ग्राफ क्यों बढ़ा ?

Why did the graph of violence against women increase during the lockdown ?

प्रश्न: (4.2) प्रकरण अध्ययन (Case Study) **(05×04=20)**

बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को समझाने के लिए आपको एक गैर-सरकारी संगठन ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रखा है। आपको किसी बच्चे को गोद लेने की सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया को समझाना है। गोद लेने और निर्णय लेने की यह प्रक्रिया लंबी और जटिल है। क्योंकि भावी माता-पिता को कानूनी बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। भारत में किशोर न्याय बोर्ड किसी बच्चे को गोद में दे सकता है जो अदालत के लिए प्रतिबद्ध है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (GAWA) के तहत गोद लेने की प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था (CARA) भारत में गोद लेने वाले प्राथमिक वैधानिक निकाय है। इस प्रक्रिया में देश और अंतरदेशीय गोद लेने की दोनों व्यवस्थाएँ शामिल हैं। इसके लिए एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला चरण पंजीकरण करना है। केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था (CARA) के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल पर आवश्यक सूचनाएँ देनी होती है। भावी माता-पिता को गोद लेने की वरीयताओं से संबन्धित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अपनी पहचान संबंधी सभी दस्तावेज देना आवश्यक है, जिसमें जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, आयकर रिटर्न, चिकित्सा प्रमाणपत्र आदि शामिल हैं। ये औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद भावी दत्तक माता-पिता को एक पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है। इसके बाद दूसरा चरण गृह अध्ययन का है जिसके तहत भावी माता-पिता का भौतिक सत्यापन उनके घर पर जाकर किया जाता है। तीसरा चरण बच्चे और माता-पिता के समुचित मिलान का होता है, जिसमें बच्चे के विकास के अनुकूल माहौल को प्राथमिकता दी जाती है। चौथा और महत्वपूर्ण चरण है न्यायालय की सम्पूर्ण प्रक्रिया के नियमों का अनुपालन जिसके तहत भावी माता-पिता को बच्चा सौपा जाता है।

An NGO has hired you as a social worker to explain the legal process of adopting a child. You have to explain the entire legal process of adopting a child. This adoption and decision making process is long and complicated. Because the prospective parents may also face legal hardles. The Juvenile Justice Board in India can adopt a child who is committed to the Court. Procedure for adoption under the Guardians and Wards Act, 1890 (GAWA), the Central Adoption Resources Authority (CARA) is the

https://www.evidyarthi.in/

primary adoption statutory body in India. This process includes both in country and Inland adoption systems. For this it is necessary to go through a long process in which the first step is to register. Necessary information has to be given on an online portal under the Central Adoption Resource Authority (CARA). Prospective parents are required to provide information regarding adoption preference. You are required to provide all your identity documents including birth certificate, marriage certificate, income tax returns, medical certificate etc. After completion of these formalities, a registration number is provided to the prospective adoptive parents. After completion of these, second phase is of home study, under which the physical verification of the prospective parents is done by visiting their home. The 3rd stage is that of proper matching of the child and the parent in which priority is given to an environment conductive to the development of the child. The fourth and most important step is the completion with the rules of the entire Court process under which the child is handed over to the prospective parents.

प्रश्न: (4.2) (1) भारत में बच्चा गोद लेने की पात्रता की आवश्यक शर्तें क्या हैं ?
What are the eligibility criteria for adoption of a child in India ?

प्रश्न: (4.2) (2) बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन–से हैं ?
What are the major steps in the legal process of child adoption ?

प्रश्न: (4.2) (3) भारत के कानून के तहत किन बच्चों को गोद लिया जा सकता है ?
Which children can be adopted under the law of India ?

प्रश्न: (4.2) (4) भारतीय कानून के तहत बच्चे को कौन गोद ले सकते हैं ?
Who can adopt a child under Indian Law ?

प्रश्न: (4.2) (5) भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। स्पष्ट कीजिए।
The process of child adoption in India is very complicated. Explain.